


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

21/6
24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राणीमित्र उपस्थित
विपक्षीयता के सम्मन वास तामिल होकर वरीजि
डिलेरी रिपोर्टि जाप हुई जिसे शान्त किया गया। विपक्षीय
को क्विकी मतेवा क्वक क्वक कर शिवाणे डिवाकी जाने
के वास की अनुपस्थित। इनके विक्रम एव वरका कार्यवाही
दिये जाने का क्वेश्चिडिया जाग है वकील प्राणीमित्र
का प्राप्य स्वीकार किया जाकर क्विकी एव क्व से
लिखा जाकर शान्त पत्र किया गया। पत्रावली
फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

अधीनस्थ अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

संख्या - 134/24 प्रा.पञ.

श्री केशवराव स/ श्री देवा ओड निवासी-ओडीकारगेम तहसील - माण्डल (कोरा)

रनाम

श्री देवा ओड निवासी- ओडीकारगेम तहसील- माण्डल (कोरा)
(पत्थरगढी पञ्चायत)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 21-6-24

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
करवापुरा पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की
जी नं० 6658, 6659, 6660, 6673, 6677, 6678, 6685, 6686 रकबा 68 रकबा 2-3017 हेक्टेयर रिहत है। वादग्रस्त भूमि
विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतयथिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

पुनः प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-6-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की
लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कच्चे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का
कार्य है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रा.पञ. करवापुरा पटवार
बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 6658, 6659, 6660, 6673, 6677, 6678, 6685,
6686 रकबा 68 रकबा 2-3017 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुस्तिका बनाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण
को 1000 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर जाकर
की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर
पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा